



पटना विश्वविद्यालय

कार्यालय आदेश

कृपया पत्रांक 51/R दिनांक 22.05.2025 द्वारा निर्गत विश्वविद्यालय प्रशासन तथा कर्मचारी संघ के मध्य हुआ समझौता पत्र अंतर्गत पृष्ठ 4-5 कंडिका 1, 2 एवं 3 का संदर्भ ग्रहण करें।

- (1) दिनांक 07.05.2025 एवं 08.05.2025 को जो शिक्षकेतर कर्मी संघ द्वारा घोषित सामूहिक अवकाश पर थे उन्हें 02 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश शेष नहीं रहने की स्थिति में उक्त अवधि को अर्जित अवकाश में सामंजित किया जाएगा।
- (2) संघ के आह्वान पर दिनांक 13.05.2025 – 22.05.2025 तक धरना-प्रदर्शन की अवधि को अर्जित अवकाश से सामंजित किया जाएगा।

समस्त नियंत्री पदाधिकारी / कार्यालय यथाशीघ्र उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन अर्थात् अवकाश लेखा एवं सेवा पुस्तिका में तदनुरूप प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

Shalini
28-5-2025
कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय।

ज्ञापांक एसी/स्था./779

दिनांक 28 / 05 / 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ, प्रसार एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:- (1) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, प0 वि0, (2) सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प0 वि0, (3) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, प0 वि0, (4) सभी संस्थानों के निदेशक, प0 वि0, (5) सभी सम्बद्ध इकाईयों के नियंत्री पदाधिकारी, प0 वि0, (6) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, प0 वि0, (7) सभी पदाधिकारी, प0 वि0, (8) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, प0 वि0, (9) कुलपति / वित्तीय परामर्शी / कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी के निजी सहायक, प0 वि0 – गार्ड फाइल में संरक्षण हेतु, (10) प्रभारी पदाधिकारी, आइ. टी. सेल, प0 वि0 – आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, (11) महासचिव, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं (12) सभी नोटिस बोर्ड।

Shalini
28-5-2025
कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय।

Sh
28.05.25